रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 410] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 18, 1984/आश्विन 26, 1906
No. 410] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 18, 1984/ASVINA 26, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 1984

सा. का. नि. 727(अ).—केन्द्रीय सरकार का, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि मैसर्स भारत पलबराइजिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई द्वारा विनिर्मित एडिफेनफास 50% ई सी. (एच. फास) के अत्यधिक विषाक्त तथा खतरनाक होने के कारण इसके उपयोग

से मानव जाति अथवा मवेशियों को गंभीर खतरा होने की संभावना है, अत: वह इसके इस रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा अधिनियम की धारा 9 के अधीन उनको दिए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संख्या 6-1304(5)/ऐडिफेनफास (ई.सी.)-3 को रद्द करती है।

[सं. 17-55/81-पीपी 1]

आर. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 1984

G.S.R. 727(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 2 of section 27, read with section 28 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government after consultation with the Registration Committee constituted under section 5 of the said Act, is satisfied that the use of Ediphenphos 50 per cent EC(Ediphos) manufactured by M|s. Bharat Pulverising Mills Private Limited, Bombay, is likely to cause serious risk to human beings or animals on account of its being extremely toxic and hazardous and as such hereby cancels the Certificate of Registration No. VI-1304(5)|Ediphenphos (EC)-3 granted to them by the Registration Committee under section 9 of the Act.

[No. 17-55|81-PPI]

R. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984